रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2513] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936
No. 2513] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

IndiaCode

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

**का.आ. 3111(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 के साथ पठित धारा 5क की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"(2) किसी पदेन सदस्य से भिन्न, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी या उस अवधि के लिए होगी जब तक कि अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित उसके उत्तरवर्ती का नाम निर्देशन न कर दिया जाए । "

[फा. सं. 6-176/2014-डब्ल्यू एल]

डा. एस एस गर्बयाल, वन महानिदेशक और विशेष सचिव तथा निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1092(अ), तारीख 22 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

**S.O. 3111(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 5A read with Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the Central Government hereby makes the following amendments in the National Board for Wild Life Rules, 2003, namely:—

In the National Board for Wild Life Rules, 2003, in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted; namely:—

" (2) The term of office of a member referred to in sub-rule (4), other then those who are members, ex-officio, shall be for a period of three years from the date of his nomination or till such period his successor is nominated, as may be approved by the Chairperson."

[F. No. 6-176/2014 WL]

Dr. S. S. GARBYAL, Director General of Forests and Spl. Secy. and Director, Wildlife Preservation

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary vide number S.O. 1092 (E), dated the 22nd September, 2003.



Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.